



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092021-229953  
CG-DL-E-25092021-229953

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3597]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943

No. 3597]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

**का.आ. 3921(अ).**—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 6035 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 दिसम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखण्ड राज्य में अल्मोडा शहर से लगभग 22 किलोमीटर और हल्द्वानी रेलहेड से 112 किलोमीटर में स्थित है, अभयारण्य समृद्ध वनस्पति एवं जीवजंतु विविधता के लिए महत्वपूर्ण और विख्यात है, और बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर है;

और, अभयारण्य क्षेत्र में विभिन्न हिमालयन जड़ी बूटियां एवं पादप जैसे वन तुलसी (ओकिमुम बसील्लीकुम), अपामार्ग (अच्यरांथेस असपेरा), चिरायत (स्वेरतिया चिरायीता), गेंथी (डीओस्कोरिया बुलबिफेरा), कीलमोडा (बेरबेरीस अरीस्टट), दरूलहलदी (बेरबेरीस लीसियम), बराहमी (बेकोपा मोन्नीइरी), ठुनेर (ताक्सुस बेक्काटा), तेजपात (किन्नामोमुम टमला), गिलोज (टींस्पोरा करदीफोलिया), वंफसा (विओला पिलोसा), पसंवेदी (कोलेउस फोरस्खोल्ली), समेवा

(वेलेरीआना हरदविक्री), सफेदी मुसली (चलोरोयतुम स्पेसेमेवा) और विभिन्न मूल्यवान प्रजातियों के साथ प्रचुर हरित ओक और पाइन वन है जिन्हें सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है;

और, अभयारण्य में कलीज तीतर (लोफुरा ल्यूकोमेलानोस), कोकलास तीतर (पुक्रेसिया मैक्रोलोफा) और चिर तीतर (कैटरयस वाल्लिची) जैसे अनेक फेजेंट पाए जाते हैं और क्षेत्र में हर साल ग्रीष्म ऋतु में लगभग 60 प्रवासी पक्षी और शीत ऋतु में 15 प्रजातियां यहां पहुंचती हैं;

और, घने पाइन और ओक वन में समृद्ध जीवजंतु में जंगली पशु जैसे तेंदूआ (पेन्थेरा प्रज्यूस), हिमालयन काला भालू (उर्सुस हिबेटानुस लानिगेर), गोरल (नेमोरेडुस गोरल), मुंजक (मुन्टिएक्स मुन्तजक), बनैला सूअर (सस स्क्रोफ्रा), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), बंदर (मकाक्यू स्पा.), यल्लो-थ्रोटेड मार्टेन (मार्टेस फ्लाविगुला), सरीसृप और विभिन्न पक्षी विद्यमान हैं, और अभयारण्य के भीतर प्रचुर हरित ओक और पाइन वन सहित विभिन्न हिमालयन जड़ी-बूटियां और पादप विद्यमान हैं और जिन्हें सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है;

और, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य के जिला अल्मोड़ा और बागेश्वर में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 3.0 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को बिनसर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 3.00 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 76.01 वर्ग किलोमीटर है, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार अभयारण्य से सटे घने बसावट के कारण है।
- (2) बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध -IIक, उपाबंध -IIख, उपाबंध -IIग, उपाबंध -IIघ और उपाबंध -IIङ के रूप में संलग्न है।
- (4) बिनसर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध -III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रामों/ चाकों/ रिजॉर्टों के क्षेत्र और जनसांख्यिकी आंकड़ें उपाबंध-IVक के रूप में संलग्न है।
- (6) बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत संभाग वार क्षेत्र विवरण उपाबंध-IVख के रूप में संलग्न है।
- (7) मुख्य बिंदुओं में भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IVग के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नदी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.**- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.**- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;

		(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
<b>आ. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:

		<p>परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:</p> <p>परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।



20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	फार्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित किए गए) होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	भूमि उपयोग में कठोर परिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
31.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
<b>इ. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
(i)	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं, अल्मोड़ा	अध्यक्ष, पदेन,
(ii)	उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन,
(iii)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	स्थानीय स्वशासन के सदस्य अर्थात् खंड प्रमुख, तालुका खंड, खंड प्रमुख हवलबाग खंड, खंड प्रमुख भैसियाचना खंड और खंड प्रमुख बागेश्वर खंड	सदस्य, पदेन,
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अल्मोड़ा	सदस्य, पदेन,
(viii)	बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन,
(ix)	संभागीय वन अधिकारी, नागरिक और सोयाम वन संभाग, अल्मोड़ा	सदस्य –सचिव, पदेन

**6. विचारार्थ विषय-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

**7. अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/03/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध- I**

**उत्तराखंड राज्य में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन पूर्व की ओर अक्षांश 29°42'28.836" उ और देशांतर 79°48'29.4474" पू दक्षिण की ओर अक्षांश, 29°39'28.137" उ और देशांतर 79°45'12.717" पू पश्चिम की ओर अक्षांश, 29°41'20.076" उ और देशांतर 79°39'35.522" पू और उत्तर अक्षांश 29°46'04.074" उ और देशांतर 79°42'44.206" से घिरा हुआ है;

(ख) बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में रिज़र्व वन के क्षेत्र, वन पंचायत, सिविल वन और निकटतम ग्रामीणों की निजी भूमि शामिल हैं और अभयारण्य की बाहरी सीमा से सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शून्य मीटर से 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में स्थल विशिष्ट विविधताओं के साथ उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की बाहरी सीमा से क्षेत्र शून्य मीटर से अधिकतम 3 किलोमीटर में सम्मिलित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा नीचे दी गई है:-

**पूर्व:** पूर्व में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र कनराईछीना से धौलछीना तक आरंभ होकर कलीगाड और कोडियारी गाड धारा के साथ दक्षिण की ओर जाती है।


**दक्षिण:** दक्षिण दिशा में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र धौलछीना-कफरखान-अल्मोड़ा मोटर मार्ग तक स्थित है।

**पश्चिम:** पश्चिम दिशा में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र अल्मोड़ा-कफरखान तालुका-बागेश्वर मोटर मार्ग तक स्थित है।

**उत्तर:** उत्तर दिशा में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र तालुका -बागेश्वर मोटर मार्ग और जयगन नदी तक स्थित है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



उपाबंध- IIख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



## उपाबंध- IIग


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

**Maximum and Minimum Distance from Binsar Wildlife Sanctuary**




उपाबंध- IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध- II

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का वनस्पति मानचित्र



## उपाबंध- III

सारणी क: बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर	विवरण
डब्ल्यू01	29° 41' 18.808" उ	79° 41' 28.129" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू02	29° 41' 51.469" उ	79° 42' 16.954" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू03	29° 43' 54.950" उ	79° 43' 21.804" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू04	29° 44' 25.689" उ	79° 43' 1.250" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू05	29° 44' 39.841" उ	79° 44' 3.602" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू06	29° 44' 16.669" उ	79° 44' 49.901" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू07	29° 44' 27.284" उ	79° 45' 41.484" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू08	29° 43' 55.737" उ	79° 46' 33.173" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू09	29° 43' 30.807" उ	79° 46' 54.049" पू	वन्यजीव अभयारण्य



डब्ल्यू10	29° 42' 46.836" उ	79° 47' 40.769" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू11	29° 42' 14.785" उ	79° 48' 9.037" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू12	29° 41' 37.819" उ	79° 46' 54.980" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू13	29° 40' 57.049" उ	79° 47' 12.559" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू14	29° 41' 3.433" उ	79° 48' 38.985" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू15	29° 40' 6.957" उ	79° 48' 13.459" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू16	29° 40' 13.954" उ	79° 45' 55.696" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू17	29° 40' 15.274" उ	79° 44' 57.569" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू18	29° 39' 42.682" उ	79° 44' 15.666" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू19	29° 39' 34.098" उ	79° 43' 16.245" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू20	29° 39' 52.118" उ	79° 42' 16.397" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू21	29° 40' 53.475" उ	79° 43' 13.979" पू	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू22	29° 41' 11.666" उ	79° 42' 24.474" पू	वन्यजीव अभयारण्य

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

ई01	29° 41' 23.943" उ	79° 40' 18.171" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई02	29° 42' 2.017" उ	79° 41' 58.753" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई03	29° 43' 12.746" उ	79° 42' 37.138" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई04	29° 44' 43.041" उ	79° 44' 4.506" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई05	29° 44' 11.256" उ	79° 44' 19.464" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई06	29° 44' 07.836" उ	79° 46' 04.296" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई07	29° 43' 15.456" उ	79° 47' 29.472" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई08	29° 42' 28.836" उ	79° 48' 29.4474" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई09	29° 40' 55.94" उ	79° 48' 48.82" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई10	29° 39' 55.17" उ	79° 48' 27.34" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई11	29° 39' 33.696" उ	79° 48' 01.512" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई12	29° 39' 39.6" उ	79° 46' 52.752" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई13	29° 39' 28.137" उ	79° 45' 12.717" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई14	29° 39' 19.65" उ	79° 43' 8.76" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई15	29° 39' 59.93" उ	79° 42' 17.98" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई16	29° 43' 57.192" उ	79° 45' 50.960" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई17	29° 43' 46.454" उ	79° 46' 2.357" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई18	29° 43' 24.777" उ	79° 46' 10.081" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई19	29° 42' 45.305" उ	79° 44' 0.942" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई20	29° 42' 55.121" उ	79° 44' 21.359" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई21	29° 42' 39.643" उ	79° 44' 57.855" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई22	29° 42' 24.362" उ	79° 45' 3.876" पू	पारिस्थितिकी जोन

ई23	29° 41' 41.061" उ	79° 44' 54.961" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई24	29° 41' 59.002" उ	79° 43' 53.295" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई25	29° 42' 4.114" उ	79° 44' 20.541" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई26	29° 42' 9.155" उ	79° 46' 18.088" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई27	29° 42' 22.148" उ	79° 46' 29.538" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई28	29° 41' 41.997" उ	79° 46' 29.961" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई29	29° 41' 15.569" उ	79° 46' 41.823" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई30	29° 41' 18.748" उ	79° 43' 8.734" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई31	29° 41' 26.774" उ	79° 44' 2.694" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई32	29° 40' 51.162" उ	79° 43' 24.484" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई33	29° 40' 44.249" उ	79° 44' 0.177" पू	पारिस्थितिकी जोन
ई34	29° 40' 37.590" उ	79° 44' 24.955" पू	पारिस्थितिकी जोन

## उपाबंध-IVक

बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रामों/चाकों/रिजॉर्टों के क्षेत्र और जनसांख्यिकीय आंकड़ें

क्र.सं.	ग्राम/चाक/रिजॉर्ट	क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या	मवेशी जनसंख्या
1	अयारपानी	1.6228	20	-
2	बेल्वाया बगर चाक	3.000	-	-
3	बेतुलीया	22.449	109	45
4	दलार	11.00	45	-
5	देवी लाल स्टेट	6.217	2	10
6	फरह बिनसर	0.498	2	-
7	गउनाप	16.489	32	30
8	लटनपुर स्टेट	1.019	50	-
9	खाली स्टेट	10.404	1	3
10	किरोदा चाक	1.379	-	-
11	मयालीखान	12.000	2	-
12	मेरी वतन स्टेट	2.088	4	-
13	मुसियार चौरा	18.626	375	46
14	नील	108.139	103	67
15	नंदा देवी स्टेट	5.584	6	5
16	पी डब्ल्यू टी गंग हुट	0.010	-	-
17	रीसाल	5.000	40	-
18	संतरी	14.601	371	3
19	साह स्टेट	10.373	1	-
20	टी आर सी बिनसर	0.470	12	-
	<b>कुल</b>	<b>250.9688</b>	<b>1175</b>	<b>209</b>

## उपाबंध-IVख

## बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत संभागवार क्षेत्र विवरण

संभाग	श्रेणी	बीट	खंड	कम्पार्टमेंट	स्थिति	वर्ग किलोमीटर
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	बिनसर बीट	दक्षिण बिनसर	1	आरएफ	0.1854
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	बिनसर बीट	दक्षिण बिनसर	2	आरएफ	0.4199
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	18.0038
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	35	आरएफ	0.2131
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	38	आरएफ	0.54
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	39	आरएफ	0.71
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	26(भाग)	आरएफ	0.26
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	27(भाग)	आरएफ	0.15
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	33(भाग)	आरएफ	0.09
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	34(भाग)	आरएफ	0.23
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	धौलचिना	दक्षिण बिनसर	36(भाग)	आरएफ	0.15
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	कफरखान	दक्षिण बिनसर	15	आरएफ	0.73
अल्मोड़ा वन	अल्मोड़ा	कफरखान	दक्षिण बिनसर	16(भाग)	आरएफ	0.23
बागेश्वर	बागेश्वर	बिनसर उत्तर	बिनसर उत्तर	35	आरएफ	0.0459
बागेश्वर	बागेश्वर	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	0.04
बिनसर अभयारण्य	नहीं	नहीं	नहीं	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	2.73
बिनसर अभयारण्य	नहीं	नहीं	नहीं	आरएफ	आरएफ	47.07
सिविल सोयाम	जागेश्वर	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	2.37
सिविल सोयाम	कनारिचिना	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	0.95
सिविल सोयाम	कनारिचिना	धौलचिना	उत्तर बिनसर	1	आरएफ	0.45
सिविल सोयाम	कनारिचिना	धौलचिना	उत्तर बिनसर	2	आरएफ	0.3378
सिविल सोयाम	कनारिचिना	कनारिचिना	पनुवानौला_ई	1	आरएफ	0.0972
<b>कुल योग</b>						<b>76.01</b>

## उपाबंध-IVग

भू-निर्देशांकों के साथ बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम कोड	ग्राम/बंदोबस्त के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	वी1	अयारपानी	29° 40' 39.782" उ	79° 43' 15.016" पू
2	वी2	बेल्वाया बगर चाक	29° 41' 17.000" उ	79° 44' 5.000" पू
3	वी3	बेतुलीया	29° 41' 34.240" उ	79° 46' 35.300" पू
4	वी4	दलार	29° 41' 27.694" उ	79° 43' 38.849" पू
5	वी5	देवी लाल स्टेट	29° 42' 1.000" उ	79° 44' 58.000" पू
6	वी6	फरह बिनसर	29° 41' 54.382" उ	79° 45' 20.350" पू
7	वी7	गउनाप	29° 42' 15.298" उ	79° 46' 30.631" पू
8	वी8	लटनपुर स्टेट	29° 42' 17.300" उ	79° 44' 57.200" पू
9	वी9	खाली स्टेट	29° 40' 36.700" उ	79° 43' 12.400" पू
10	वी10	किरोदा चाक	29° 41' 6.600" उ	79° 44' 3.300" पू
11	वी11	मयालीखान	29° 42' 50.036" उ	79° 44' 16.893" पू
12	वी12	मेरी वतन स्टेट	29° 41' 49.080" उ	79° 45' 12.100" पू
13	वी13	मुसियार चौरा	29° 43' 56.137" उ	79° 46' 1.320" पू
14	वी14	नील	29° 40' 42.020" उ	79° 43' 53.344" पू
15	वी15	नंदा देवी स्टेट	29° 42' 18.700" उ	79° 44' 55.800" पू
16	वी16	पी डब्ल्यू टी गंग हुट	29° 41' 58.400" उ	79° 44' 55.500" पू
17	वी17	रीसाल	29° 42' 8.429" उ	79° 44' 9.866" पू
18	वी18	संतरी	29° 43' 34.035" उ	79° 46' 2.434" पू
19	वी19	साह स्टेट	29° 41' 45.900" उ	79° 44' 52.500" पू
20	वी20	टी आर सी बिनसर	29° 41' 56.000" उ	79° 45' 33.500" पू

## उपाबंध -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

**S.O. 3921(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 6035(E), dated the 30<sup>th</sup> November, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS**, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 5<sup>th</sup> December 2018;

**AND WHEREAS**, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

**AND WHEREAS**, Binsar Wildlife Sanctuary situated at about 22 kilometers from Almora city and 112 kilometers from Haldwani railhead in the State of Uttarakhand, is an important and well-known Sanctuary known for its rich flora and fauna diversity, and the area of Binsar Wildlife Sanctuary is 47.07 square kilometers;

**AND WHEREAS**, various Himalayan herbs and plants like van tulsi (*Ocimum basilicum*), Apamarg (*Achyranthes aspera*), Chirayata (*Swertia chirayita*), Genti (*Dioscorea bulbifera*), Kilmoda (*Berberis aristata*), darulhaldi (*Berberis lycium*), brahmi (*Bacopa monnieri*), thuner (*Taxus baccata*), tejpat (*Cinnamomum tamala*), giloy (*Tinospora cardifolia*), vanfsa (*Viola pilosa*), pasanved (*Coleus forskholli*) samewa (*Valeriana hardwickii*), safed musali (*Chlorophytum spp.samewa*) and various valuable species are present in the Sanctuary area with lush green oaks and pines forest which needs protection and conservation;

**AND WHEREAS**, a number of pheasants like kalij pheasant (*Lophura leucomelanos*), koklass pheasant (*Pucrasia macrolopha*) and cheer pheasant (*Catreus wallichii*) are present in the Sanctuary and about 60 migratory birds visiting during summer every year and 15 species during winter in the region;

**AND WHEREAS**, in a dense pine and oak forest a rich fauna is present having wild animals like panther (*Panthera pardus*), Himalayan black bear (*Ursus thibetanus laniger*), goral (*Naemorhedus goral*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), wild boar (*Sus scrofa*), porcupine (*Hystrix indica*), monkey (Macaque sp.), yellow-throated marten (*Martes flavigula*), reptiles and various avifauna, and inside the Sanctuary various Himalayan herbs and plants are present along with lush green oak and pine forest and need a protection and conservation;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the protected area of Binsar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent

varying from 0 (zero) to 3.0 kilometres around the boundary of Binsar Wildlife Sanctuary, in Almora and Bageshwar Districts in the State of Uttarakhand as the Binsar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 3.00 kilometres around the boundary of Binsar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 76.01 square kilometres, and zero extent of Eco-sensitive Zone is on account of dense habitation adjoin the Sanctuary in some stretch.
  - (2) The boundary description of Eco-sensitive Zone around Binsar Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Binsar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIIE**.
  - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Binsar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
  - (5) Demographic data and area of villages/chaks/resorts inside the Binsar Wildlife Sanctuary Uttarakhand is appended as **Annexure-IVA**.
  - (6) Division wise area details under Eco-sensitive Zone of Binsar Wildlife Sanctuary are appended as **Annexure-IVB**.
  - (7) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IVC**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj;
    - (xi) Uttarakhand State Pollution Control Board; and
    - (xii) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as -

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;



(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

**(10) Bio-medical waste.**— Bio-medical waste management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

**(11) Plastic waste management.**— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(12) Construction and demolition waste management.**— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(13) E-waste.**— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

**(14) Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

**(16) Industrial units.**— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone;  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:  Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or

		expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open well, borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Drastic change in land use.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill development.	Shall be actively promoted.

41.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	Conservator of Forests, North Kumaon, Almora	Chairman, <i>ex officio</i> ;
(ii)	A representative nominated by the Forest Department of Uttarakhand	Member, <i>ex officio</i> ;
(iii)	A representative of non-governmental organizations (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(v)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(vi)	Member of Local Self Government i.e. Block Pramukh, Takula Block, Block Pramukh Hawalbag Block, Block Pramukh Bhaisiyachana Block and Block Pramukh Bageshar Block	Member, <i>ex officio</i> ;
(vii)	Regional Officer, Uttarakhand State Pollution Control Board, Almora	Member, <i>ex officio</i> ;
(viii)	Wildlife Warden of Binsar Wildlife Sanctuary	Member, <i>ex officio</i> ;
(ix)	Divisional Forest Officer, Civil and Soyam Forests Division, Almora	Member-Secretary, <i>ex officio</i> .

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7. Additional measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8. Orders of Supreme Court, etc.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/03/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

#### ANNEXURE- I

#### BOUNDARY DESCRIPTION OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE UTTARAKHAND

- A. The Eco-sensitive Zone is bounded by 29°42'28.836" N latitude and 79°48'29.4474" E Longitude towards East, 29°39'28.137" N latitude and 79°45'12.717" E longitude towards south, 29°41'20.076" N latitude and 79°39'35.522" E longitude towards west and 29°46'04.074" N latitude and 79°42'44.206" Longitude North;
- B. Eco-Sensitive Zone of Binsar wildlife Sanctuary consists of area of reserve forest, Van Panchayat, Civil forest and private land of nearby villagers and all areas fall within Zero meter to 3 kilometers wide strip from the outer boundary of the Sanctuary. The Eco-Sensitive Zone comprises zero meter to maximum 3 kilometers wide area from the outer boundary of Binsar Wildlife Sanctuary in Almora and Bageshwer district of Uttarakhand State with site specific variations. The boundaries of the Eco-sensitive Zone shall be as under:-

**East:** In East, the area of Eco-sensitive Zone starts from Kanarichhina to Dholchhina towards South along the stream Kali gad and Kodyari gad.


**South:** In South direction, area of Eco-sensitive Zone lies along the Dholchhina-Kapharkhan- Almora Motor Road.

**West:** In West direction, area of Eco-sensitive Zone lies along the Almora- Kapharkhan Takula-Bageshwar Motor Road.

**North:** In North direction, area of Eco-sensitive Zone lies along the Takula -Bageshwar Motor Road and Jaigan River.


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS






ANNEXURE- IIC


MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

Maximum and Minimum Distance from Binsar Wildlife Sanctuary




ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIE

VEGETATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY  
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



## ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BINSAR WILDLIFE SANCTUARY**

Points	Latitude	Longitude	Description
W01	29° 41' 18.808" N	79° 41' 28.129" E	Wildlife Sanctuary
W02	29° 41' 51.469" N	79° 42' 16.954" E	Wildlife Sanctuary
W03	29° 43' 54.950" N	79° 43' 21.804" E	Wildlife Sanctuary
W04	29° 44' 25.689" N	79° 43' 1.250" E	Wildlife Sanctuary
W05	29° 44' 39.841" N	79° 44' 3.602" E	Wildlife Sanctuary
W06	29° 44' 16.669" N	79° 44' 49.901" E	Wildlife Sanctuary
W07	29° 44' 27.284" N	79° 45' 41.484" E	Wildlife Sanctuary
W08	29° 43' 55.737" N	79° 46' 33.173" E	Wildlife Sanctuary
W09	29° 43' 30.807" N	79° 46' 54.049" E	Wildlife Sanctuary
W10	29° 42' 46.836" N	79° 47' 40.769" E	Wildlife Sanctuary
W11	29° 42' 14.785" N	79° 48' 9.037" E	Wildlife Sanctuary
W12	29° 41' 37.819" N	79° 46' 54.980" E	Wildlife Sanctuary
W13	29° 40' 57.049" N	79° 47' 12.559" E	Wildlife Sanctuary
W14	29° 41' 3.433" N	79° 48' 38.985" E	Wildlife Sanctuary
W15	29° 40' 6.957" N	79° 48' 13.459" E	Wildlife Sanctuary
W16	29° 40' 13.954" N	79° 45' 55.696" E	Wildlife Sanctuary
W17	29° 40' 15.274" N	79° 44' 57.569" E	Wildlife Sanctuary
W18	29° 39' 42.682" N	79° 44' 15.666" E	Wildlife Sanctuary
W19	29° 39' 34.098" N	79° 43' 16.245" E	Wildlife Sanctuary
W20	29° 39' 52.118" N	79° 42' 16.397" E	Wildlife Sanctuary
W21	29° 40' 53.475" N	79° 43' 13.979" E	Wildlife Sanctuary
W22	29° 41' 11.666" N	79° 42' 24.474" E	Wildlife Sanctuary

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

E01	29° 41' 23.943" N	79° 40' 18.171" E	Eco Sensitive Zone
E02	29° 42' 2.017" N	79° 41' 58.753" E	Eco Sensitive Zone
E03	29° 43' 12.746" N	79° 42' 37.138" E	Eco Sensitive Zone
E04	29° 44' 43.041" N	79° 44' 4.506" E	Eco Sensitive Zone
E05	29° 44' 11.256" N	79° 44' 19.464" E	Eco Sensitive Zone
E06	29° 44' 07.836" N	79° 46' 04.296" E	Eco Sensitive Zone
E07	29° 43' 15.456" N	79° 47' 29.472" E	Eco Sensitive Zone
E08	29° 42' 28.836" N	79° 48' 29.4474"E	Eco Sensitive Zone
E09	29° 40' 55.94" N	79° 48' 48.82" E	Eco Sensitive Zone
E10	29° 39' 55.17" N	79° 48' 27.34" E	Eco Sensitive Zone
E11	29° 39' 33.696" N	79° 48' 01.512" E	Eco Sensitive Zone
E12	29° 39' 39.6" N	79° 46' 52.752" E	Eco Sensitive Zone

E13	29° 39' 28.137" N	79° 45' 12.717" E	Eco Sensitive Zone
E14	29° 39' 19.65" N	79° 43' 8.76" E	Eco Sensitive Zone
E15	29° 39' 59.93" N	79° 42' 17.98" E	Eco Sensitive Zone
E16	29° 43' 57.192" N	79° 45' 50.960" E	Eco Sensitive Zone
E17	29° 43' 46.454" N	79° 46' 2.357" E	Eco Sensitive Zone
E18	29° 43' 24.777" N	79° 46' 10.081" E	Eco Sensitive Zone
E19	29° 42' 45.305" N	79° 44' 0.942" E	Eco Sensitive Zone
E20	29° 42' 55.121" N	79° 44' 21.359" E	Eco Sensitive Zone
E21	29° 42' 39.643" N	79° 44' 57.855" E	Eco Sensitive Zone
E22	29° 42' 24.362" N	79° 45' 3.876" E	Eco Sensitive Zone
E23	29° 41' 41.061" N	79° 44' 54.961" E	Eco Sensitive Zone
E24	29° 41' 59.002" N	79° 43' 53.295" E	Eco Sensitive Zone
E25	29° 42' 4.114" N	79° 44' 20.541" E	Eco Sensitive Zone
E26	29° 42' 9.155" N	79° 46' 18.088" E	Eco Sensitive Zone
E27	29° 42' 22.148" N	79° 46' 29.538" E	Eco Sensitive Zone
E28	29° 41' 41.997" N	79° 46' 29.961" E	Eco Sensitive Zone
E29	29° 41' 15.569" N	79° 46' 41.823" E	Eco Sensitive Zone
E30	29° 41' 18.748" N	79° 43' 8.734" E	Eco Sensitive Zone
E31	29° 41' 26.774" N	79° 44' 2.694" E	Eco Sensitive Zone
E32	29° 40' 51.162" N	79° 43' 24.484" E	Eco Sensitive Zone
E33	29° 40' 44.249" N	79° 44' 0.177" E	Eco Sensitive Zone
E34	29° 40' 37.590" N	79° 44' 24.955" E	Eco Sensitive Zone

## ANNEXURE-IVA

**DEMOGRAPHIC DATA AND AREA OF VILLAGES /CHAKS/RESORTS INSIDE THE BINSAR WILDLIFE SANCTUARY UTTARAKHAND**

Sl. No.	Villages/ Chaks/ Resorts	Area in hectares	Population	Cattle population
1	Ayarpani	1.6228	20	-
2	Beluwabagar chak	3.000	-	-
3	Betuliya	22.449	109	45
4	Dalar	11.00	45	-
5	Devilal Estate	6.217	2	10
6	FRH Binsar	0.498	2	-
7	Gaunap	16.489	32	30
8	Itanpur Estate	1.019	50	-
9	Khali Estate	10.404	1	3
10	Kiroda chak	1.379	-	-
11	Mayolikhan	12.000	2	-
12	Meri Budden Estate	2.088	4	-

13	Musiyachaura	18.626	375	46
14	Nail	108.139	103	67
15	Nanda devi Estate	5.584	6	5
16	PWD Gang hut	0.010	-	-
17	Resal	5.000	40	-
18	Santri	14.601	371	3
19	Shah Estate	10.373	1	-
20	TRC Binsar	0.470	12	-
	<b>Total</b>	<b>250.9688</b>	<b>1175</b>	<b>209</b>

## ANNEXURE-IVB

**DIVISION WISE AREA DETAILS UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE  
SANCTUARY**

Division	Range	Beat	Block	Comptt	Status	Sq. Km
Almora Forest	Almora	Binsar S Beat	South Binsar	1	RF	0.1854
Almora Forest	Almora	Binsar S Beat	South Binsar	2	RF	0.4199
Almora Forest	Almora	Civil Area	Civil Area	Civil Area	Civil Area	18.0038
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	35	RF	0.2131
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	38	RF	0.54
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	39	RF	0.71
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	26(Part)	RF	0.26
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	27(Part)	RF	0.15
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	33(Part)	RF	0.09
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	34(Part)	RF	0.23
Almora Forest	Almora	Dholchina	South Binsar	36(Part)	RF	0.15
Almora Forest	Almora	Kafarkhan	South Binsar	15	RF	0.73
Almora Forest	Almora	Kafarkhan	South Binsar	16(Part)	RF	0.23
Bageshwar	Bageshwar	Binsar North	Binsar North	35	RF	0.0459
Bageshwar	Bageshwar	Civil Area	Civil Area	Civil Area	Civil Area	0.04
Binsar Sanctuary	NA	NA	NA	Civil Area	Civil Area	2.73
Binsar Sanctuary	NA	NA	NA	RF	RF	47.07
Civil Soyam	Jageshwar	Civil Area	Civil Area	Civil Area	Civil Area	2.37
Civil Soyam	Kanarichina	Civil Area	Civil Area	Civil Area	Civil Area	0.95
Civil Soyam	Kanarichina	Dhaulchina	North Binsar	1	RF	0.45
Civil Soyam	Kanarichina	Dhaulchina	North Binsar	2	RF	0.3378
Civil Soyam	Kanarichina	Kanarichina	Panuwanaula_E	1	RF	0.0972
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>76.01</b>

## ANNEXURE-IVC

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BINSAR WILDLIFE  
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Village Code	Name of Village/Settlement	Latitude	Longitude
1	V1	Ayarpani	29° 40' 39.782" N	79° 43' 15.016" E
2	V2	Belwaua Bagar Chak	29° 41' 17.000" N	79° 44' 5.000" E
3	V3	Betuliya	29° 41' 34.240" N	79° 46' 35.300" E
4	V4	Dalar	29° 41' 27.694" N	79° 43' 38.849" E
5	V5	Devi Lal Estate	29° 42' 1.000" N	79° 44' 58.000" E
6	V6	FrhBinsar	29° 41' 54.382" N	79° 45' 20.350" E
7	V7	Gaunap	29° 42' 15.298" N	79° 46' 30.631" E
8	V8	Itanpur Estate	29° 42' 17.300" N	79° 44' 57.200" E
9	V9	Khali Estate	29° 40' 36.700" N	79° 43' 12.400" E
10	V10	Kiroda Chak	29° 41' 6.600" N	79° 44' 3.300" E
11	V11	Mayalikhan	29° 42' 50.036" N	79° 44' 16.893" E
12	V12	Meri Vatan Estate	29° 41' 49.080" N	79° 45' 12.100" E
13	V13	Musiyi Chaura	29° 43' 56.137" N	79° 46' 1.320" E
14	V14	Nail	29° 40' 42.020" N	79° 43' 53.344" E
15	V15	Nanda Devi Estate	29° 42' 18.700" N	79° 44' 55.800" E
16	V16	PWD Gang Hut	29° 41' 58.400" N	79° 44' 55.500" E
17	V17	Risal	29° 42' 8.429" N	79° 44' 9.866" E
18	V18	Santri	29° 43' 34.035" N	79° 46' 2.434" E
19	V19	Shah Estate	29° 41' 45.900" N	79° 44' 52.500" E
20	V20	TRC Binsar	29° 41' 56.000" N	79° 45' 33.500" E

## ANNEXURE –V

**Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.